DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

21 August, 2024

जलस्तंभ (Waterspout)

संदर्भ: *19 अगस्त को सिसली के तट पर आए भयंकर तूफान में एक लक्जरी नौका डूब गई, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा छह लापता हो गए। संभवतः यह दुर्घटना जलस्तंभ के कारण हुई है।*

➢ परिभाषा

- **जलस्तंभ (वाटरस्पाउट)** : यह पानी के ऊपर घूमता हुआ वायु का स्तंभ है, जो चिमनी के आकार के बादल जैसा दिखाई देता है।
- **प्रकार** :
- **गैर-बवंडरयुक्त (अच्छा मौसम) जलस्तंभ:**
  - यह सामान्य प्रकार का एवं कमजोर भंवर है।
  - यह तटीय जल में निर्मित, क्यूम्यलस बादलों से संबद्ध है।
- **बवंडरयुक्त जलस्तंभ:**
  - इसमें पानी के ऊपर एक बवंडर होता है, जो मेसोसाइक्लोन से बना होता है।
  - इसमें भयंकर तूफान शामिल होते हैं।

➢ गठन

- **गैर-बवंडर जलस्तंभ जीवनचक्र:**
  - प्रारंभ में पानी पर काले धब्बे का बनना।
  - सर्पिल पैटर्न और स्प्रे रिंग का विकास होना।
  - दृश्य संघनन कीप का निर्माण होना।
  - गर्म हवा का प्रवाह कमजोर होने से क्षय होना।
- **बवंडरयुक्त जलस्तंभ संरचना:**
  - यह पानी के ऊपर भयंकर तूफान से निर्मित होता है।
  - यह भूमि आधारित बवंडर के समान है, लेकिन पानी के ऊपर यह होता है।
- **शीतकालीन जलस्तंभ:**
  - इसे बर्फ की फुहार भी कहा जाता है, यह बर्फ के तूफानों के नीचे बनती है।
  - कोहरे जैसी भाप उत्पन्न करने के लिए गर्म पानी के ऊपर ठंडी हवा की आवश्यकता होती है।
  - लम्बी झीलों की ओर बहने वाली हवाओं के कारण इसमें वृद्धि हुई है।

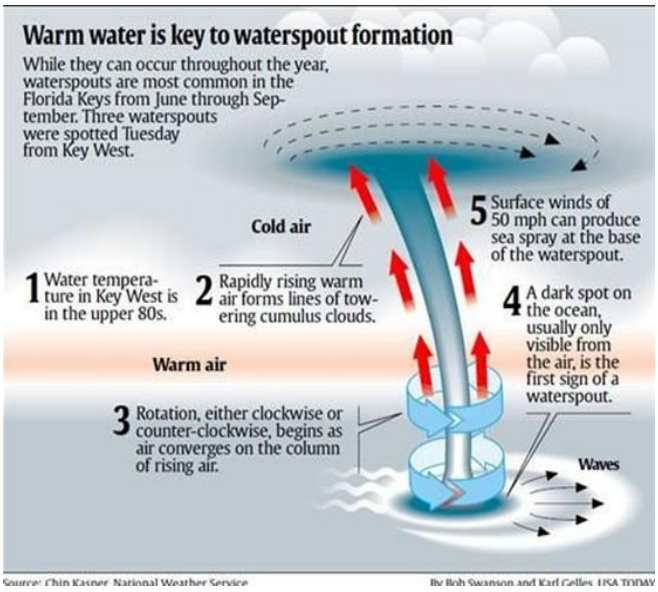

➢ विशेषताएँ

- **जलवायु विज्ञान** :
- **सामान्य क्षेत्र:**
  - यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है।
  - यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाया जाता है: यूरोप, ग्रेट लेक्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
- **आवृत्ति** :
  - तट से 100 किमी के अन्दर अधिक आम है।
  - गर्मियों के अंत में चरम मौसम तथा उत्तरी गोलार्ध में सितम्बर के महीने में होता है।
- **घटना** :
  - यह समुद्र, खाड़ियों, झीलों और नदियों पर देखा गया।
  - यह दक्षिण-पूर्वी अमेरिकी तट और ग्रेट लेक्स क्षेत्र में अक्सर पाया जाता है।

➢ प्रभाव डालता है

- **इंसान** :
- **खतरे** : मजबूत जलस्तंभ जलयानों, विमानों और लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- **उल्लेखनीय घटनाएँ:**
  - **1551 का माल्टा तूफान:** नावें डूब गईं; व्यापक जनहानि हुई।
  - **1851 सिसिली बवंडर:** व्यापक क्षति के साथ जुड़वां जलस्तंभ देखा गया।
- **प्राकृतिक** :
  - **पशु प्रभाव:** मछली, मेंढक और कछुए जैसे छोटे जानवरों पर प्रभाव पड़ सकते हैं।
  - **मछली वर्षा:** मछलियाँ बहकर भूमि पर गिरती हैं, कभी-कभी 160 किमी. तक भी देखी जा सकती हैं।

➢ अनुसंधान और पूर्वानुमान

- **स्ज़िलागी वाटरस्पाउट इंडेक्स (एसडब्ल्यूआई):**
  - यह जलस्तंभ विकास की स्थिति की भविष्यवाणी करता है।
  - यह −10 से +10 तक, उच्चतर मान अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय जलस्तंभ अनुसंधान केंद्र (आईसीडब्ल्यूआर):**
  - यह जलस्तंभ अनुसंधान, सुरक्षा और पूर्वानुमान पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - इसमें मौसम विज्ञानियों, तूफान का पीछा करने वालों और अन्य इच्छुक समुदायों का योगदान शामिल है।

भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ *: हाल ही में मलेशिया और भारत ने दातो सेरी अनवर इब्राहिम की राजकीय यात्रा के दौरान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।*

➢ द्विपक्षीय संबंध:

- वर्ष 2015 की उन्नत रणनीतिक साझेदारी एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुई थी।
- मलेशिया में गहरे संबंधों, सांस्कृतिक जुड़ाव और जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय की मान्यता दी गई।
- संबंधों को और मजबूत करने तथा उच्च स्तरीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

➢ **सहयोग के क्षेत्र:**

- चर्चा में राजनीति, रक्षा, आर्थिक, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-अप, फिनटेक, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई।

➢ **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एवं समझौते:**

- श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और प्रत्यावर्तन
- आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ
- डिजिटल टेक्नोलॉजीज
- संस्कृति, कला और विरासत
- पर्यटन
- खेल
- लोक प्रशासन और शासन सुधार
- एलएफएसए और आईएफएससीए के बीच वित्तीय सेवाएं

➢ **आर्थिक और व्यापार पहल:**

- द्विपक्षीय व्यापार 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- उद्योग सहयोग और निवेश को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया।
- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा की गई।
- मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (एमआईसीईसीए) पर चर्चा की गई।
- व्यापार में स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा दिया गया।

➢ **डिजिटल एवं तकनीकी सहयोग:**

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर समझौता ज्ञापन किया गया।
- मलेशिया-भारत डिजिटल परिषद का गठन किया गया।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग किया गया।

➢ **रक्षा एवं सुरक्षा:**

- रक्षा और सुरक्षा में मजबूत सहयोग जारी रहेगा।
- रक्षा उद्योग सहयोग और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया।
- आतंकवाद की संयुक्त निंदा और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध सहयोग किया गया।

➢ **शैक्षिक और सांस्कृतिक पहल:**

- मलेशियाई नागरिकों के लिए भारत के आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत 100 सीटों का विशेष आवंटन किया गया।
- यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान में आयुर्वेद चेयर और यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना किया गया।
- कृषि, दृश्य-श्रव्य सह-उत्पादन और पर्यटन में सहयोग बढ़ाया गया।

➢ **पर्यावरण एवं क्षेत्रीय सहयोग:**

- टिकाऊ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए समर्थन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) में मलेशिया की भागीदारी करना।
- आसियान-भारत संबंध मजबूत हुए है।

➢ **घोषणाएँ:**

- भारत-मलेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाना।
- मलेशिया को 200,000 मीट्रिक टन सफेद चावल का विशेष आवंटन।
- मलेशियाई नागरिकों के लिए 100 आईटीईसी स्लॉट जोड़े गए।
- मलेशिया आईबीसीए में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
- भारत-मलेशिया स्टार्ट-अप गठबंधन और डिजिटल काउंसिल के माध्यम से सहयोग।
- 9वें भारत-मलेशिया सीईओ फोरम का आयोजन।

लोकपाल और लोकायुक्त

संदर्भ:*हाल ही में लोकायुक्त एसआईटी ने एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किया है।*

➢ **लोकपाल और लोकायुक्त अवलोकन:**

- **उद्देश्य** : भारत में सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच और मुकदमा चलाने के लिए इसे स्थापित किया गया।
- **सिफ़ारिश** : भ्रष्टाचार से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए 1960 के दशक में प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया।
- **भूमिका** : "लोकपाल" संस्थाओं के रूप में कार्य करना, सार्वजनिक निकायों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।
- **स्तर** : लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर काम करता है। दोनों का नेतृत्व न्यायाधीशों के एक पैनल या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।
- **अधिकार क्षेत्र** : मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जाँच करना।

➢ **पृष्ठभूमि और उत्पत्ति:**

- **उत्पत्ति** : लोकपाल अवधारणा की उत्पत्ति 1809 में स्वीडन में हुई।
- **भारतीय प्रस्ताव:** 1960 के दशक में अशोक कुमार सेन द्वारा संवैधानिक लोकपाल के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव दिया।
- **शब्द गढ़ा गया:** डॉ. एल.एम. सिंघवी ने 1963 में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द पेश किए।
- **पहली सिफारिशें:** 1966 एआरसी ने लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की।
- **विधायी इतिहास:** लोकपाल विधेयक 1968 में पारित हुआ लेकिन निरस्त हो गया। इसे बार-बार पेश किया गया लेकिन 2013 तक अधिनियमित नहीं हुआ।
- **अन्ना हजारे आंदोलन:** 2011 में, इस आंदोलन ने एक प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के निर्माण के लिए दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक कानून बन गया।

➢ **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान:**

- **चयन समिति:** इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामित व्यक्ति तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं।
- **क्षेत्राधिकार** : इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और विभिन्न सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।
- **संरचना** : इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिसमें न्यायिक सदस्य और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **अधीक्षण** : लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों पर सीबीआई सहित जांच एजेंसियों को निर्देश देना।
- **विदेशी दान:** इसमें प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक के विदेशी दान पर अधिकार क्षेत्र शामिल है।
- **राज्य लोकायुक्त:** राज्यों में 365 दिनों के भीतर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना का आदेश दिया गया।

➢ **लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम 2016:**

- **चयन समिति:** यदि कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदस्य बनने की अनुमति देती है।
- **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:** सार्वजनिक अधिकारियों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता को संशोधित करता है, तथा 30-दिन की समय-सीमा को हटाता है।

➢ **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में परिवर्तन:**

- **नई धाराएं:** सीवीसी अधिनियम में धारा 8ए और 8बी जोड़ी गई, जिससे सीवीसी को लोकपाल के संदर्भों की जांच करने और भ्रष्टाचार से संबंधित सीबीआई जांच की निगरानी करने का अधिकार मिल गया।
- **अधीक्षण** : सीवीसी के पास अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण की शक्तियां हैं।

➢ **भ्रष्टाचार के विरुद्ध मौजूदा शासन ढांचा:**

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:** यह लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट आचरण को दंडित करने के लिए मुख्य कानून है।
- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई):**यह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली मुख्य एजेंसी है।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और राज्य सतर्कता आयोग:** भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निपटारा करना।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी):** यह अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों का समाधान करता है।
- **आचरण नियम:** अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 निष्ठा से समझौता करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाते हैं।
- **प्रशासनिक न्यायाधिकरण:** केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) प्रशासनिक कार्यों और भ्रष्टाचार से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

जन पोषण केंद्र पहल

हाल ही में, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और उड़ान के साथ साझेदारी में जन पोषण केंद्र पहल शुरू की है।

जन पोषण केंद्र पहल के बारे में:

- जन पोषण केंद्र पहल एक सरकारी नेतृत्व वाली पायलट परियोजना है जिसका उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों (FPS), जिन्हें आमतौर पर राशन की दुकानों के रूप में जाना जाता है, को जन पोषण केंद्रों में बदलना है।
- इस पहल का उद्देश्य पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों और अन्य घरेलू उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके उचित मूल्य की दुकान के डीलरों की आय के स्तर को बढ़ाना है।
- यह पोषण से भरपूर उत्पादों के लिए अपने भंडारण का 50% आवंटित करेगा, जबकि शेष स्थान का उपयोग अन्य घरेलू वस्तुओं के लिए करेगा।
- यह उचित मूल्य की दुकानों को विभिन्न प्रकार के पोषण-सघन और गैर-पीडीएस वस्तुओं की पेशकश करने में सक्षम बनाकर पोषण में सुधार करना चाहता है।
- इसके अतिरिक्त, यह पहल उड़ान के eB2B प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उत्पादों की विविधता और उपलब्धता को व्यापक बनाकर इन दुकानों को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है।
- पायलट परियोजना चार राज्यों में 60 चयनित एफपीएस में शुरू की गई है,जिसमें राजस्थान (जयपुर), उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद), तेलंगाना (हैदराबाद) और गुजरात (अहमदाबाद) शामिल है।

एनएचपीसी लिमिटेड

हाल ही में, सिक्किम के गंगटोक जिले में तीस्ता-V जलविद्युत स्टेशन के स्थल पर भूस्खलन से छह घर और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) की एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई।

एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में:

- एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे पहले राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी-I सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
- कंपनी को देश में जलविद्युत शक्ति विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1975 में शामिल किया गया था।
- इसे भारत और विदेशों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों स्रोतों के माध्यम से सभी पहलुओं में बिजली के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने का अधिकार है।
- यह जलविद्युत परियोजनाओं के लिए नई साइटों की खोज और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।
- कंपनी जलविद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- कंपनी के पास ₹15,000 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी है, जो इसे जलविद्युत के विकास के लिए देश में एक प्रमुख संगठन बनाती है।
- इसका मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है।

इच्छामृत्यु

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वृद्ध दंपत्ति की अपने 30 वर्षीय बेटे के लिए "निष्क्रिय इच्छामृत्यु" की अनुमति देने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो 11 वर्षों से घर पर कोमा में पड़ा हुआ है।

इच्छामृत्यु के बारे में:

- इच्छामृत्यु दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने की प्रथा है।
- इसे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सक्रिय इच्छामृत्यु (जहां जानबूझ कर हस्तक्षेप किया जाता है, जैसे कि जानलेवा इंजेक्शन देना, जीवन को समाप्त करने के लिए किया जाता है) और निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जहां जीवन को बनाए रखने वाले उपचार या हस्तक्षेप वापस ले लिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं।
- भारत में, मार्च 2018 में कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई थी।
- न्यायालय ने सख्त दिशा-निर्देशों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें एक लिविंग विल (एक अग्रिम निर्देश जिसमें उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है जिसके तहत कोई व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं रहना चाहेगा) तैयार करना शामिल है।
- अरुणा शानबाग केस (2011) इच्छामृत्यु के संबंध में भारतीय कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर शर्तों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जो भारत में इच्छामृत्यु के इस रूप को मान्यता देने का पहला अवसर था।

समाचार में स्थान

एस्टोनिया

तीन बाल्टिक राज्यों में से एक एस्टोनिया ने 21 अगस्त, 1991 को सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

एस्टोनिया (राजधानी: तेलिन)

स्थान: एस्टोनिया, जिसे आधिकारिक तौर पर एस्टोनिया गणराज्य के रूप में जाना जाता है, उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में एक देश है।

सीमाएँ: एस्टोनिया अपनी सीमाओं को लेक पीपस और रूस (पूर्व), बाल्टिक सागर (पश्चिम), फिनलैंड की खाड़ी (उत्तर) और लातविया (दक्षिण) के साथ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- सुउर मुनामागी एस्टोनिया का सबसे ऊँचा स्थान है।
- इमाजोगी, पर्नू और पोल्त्समा देश की प्रमुख नदियाँ हैं।
- एस्टोनिया तेल शेल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है।

सदस्यता: एस्टोनिया यूरोपीय संघ (ईयू), नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में खबरों में रहा MUDA घोटाला किस राज्य से जुड़ा है? – **कर्नाटक**
- महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस जिले में पहला 'सोलर विलेज' लॉन्च किया? – **सतारा**
- हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? – **राजस्थान**
- हाल ही में खबरों में रहे रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्ट-अप एक्सपेंशन (RISE) एक्सेलेरेटर प्रोग्राम से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? – **अटल इनोवेशन मिशन**
- हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? – **सूडान**